


जल उपभोक्ता समिति का गठन एवं कार्य


द्वितीय बैठक

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन (पिम) का तात्पर्य नहर के प्रत्येक स्तर (कुलाबा, अल्पिका, रजबहा आदि) एवं सिंचाई प्रबन्धन के प्रत्येक पहलू (परिकल्पन, योजना क्रियान्वयन, अनुश्रवण आदि) में किसानों की सहभागिता उनके द्वारा निर्वाचित समिति (जल उपभोक्ता समिति—कुलाबा समिति, अल्पिका समिति एवं रजबहा समिति) के माध्यम से सुनिश्चित कराना है।


कुलाबा समिति का गठन



अल्पिका समिति का गठन




रजबहा समिति का गठन



जल उपभोक्ता समिति के कार्य



जल उपभोक्ता समिति के लिये वित्तीय व्यवस्था



नोट— अन्तिम भुगतान (न्यूनतम 30:) आम सभा से अनुमोदन के पश्चात्।